

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 80/2020 (RCMS : 2020/ 000224) अनुदान 1. विशम्बर सिंह पुत्र दिलावर सिंह 2. गुरबक्श सिंह पुत्र हाकम सिंह, जाति रायसिख, निवासी चक 34 आरडी संगीता, तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. अंगीर सिंह पुत्र खान सिंह 2. हरबंश सिंह पुत्र मुंशी सिंह जाति रायसिख निवासी चक 34 आरडी संगीता तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 3. उपजिलाधीश, सूरतगढ

11.08.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बतरा उपस्थित नहीं है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 31/2012 अनुवानी दिलावर सिंह बनाम स्टेट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और नये पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण भी कर लिया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)



कलेक्टर
श्रीगंगानगर